बदलास श्री काशीराम चौहान (आरएएस) सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जिला–राजसमंद

45/17 रे0वाद निर्णय दिनांक 25–7–17

सिंह पिता बख्तावरसिंह जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी कुलांची तहसील पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद

.....वादी

बनाम

श्री मदनसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्री जेठूसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्रीमतिसन्तु पिता शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्रीमति पानी पिता शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्रीमति सीता पत्नि शंकरसिंह जाति रावणा राजपूतआयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्री गिरधारीसिंह पिता राधाकिशन जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्री महेन्द्रसिंह पिता राधाकिशन जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद
श्रीमति भंवरीबाई पत्नि राधाकिशन जाति रावणा राजपूत आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला–राजसमंद

... प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89,91–क राजस्थान टेनेन्सी एक्ट**

---

उपस्थित :– **श्री प्रदीपकुमार सोलंकी वकील वादी**

वादी का वाद–पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हूआ है कि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बिकावनामा ग्राम बणजारीया प.0स0 की पारडी की आराजीनम्बर 128/124 शा0नं0 1,2,3,4 रकबा 6–00 बीघा भूमि तत्कालिन खातेदार श्री हरलाल .....2

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

पिता दोला दरोगा निवासी पारडी से दिनांक 3–8–1994 को खरीद की और कब्जा भूमिका वक्त खरीद से वादी को सिपूर्द किया जो आज दिनांक तक निरन्तरव निर्बाध रूप से वादी का चला आ रहा है। भूमि क्रय करने केबाद विक्रय–पत्र की फोटोप्रति तत्कालिन पटवारी हल्का को ना0क0 खोलने हेतु दी किन्तु ना0क0 नहीं खुला और इस मुगालते मे रहा कि भूमि का ना0क0 खुल गया होगा और अपनी भूमि पर निरन्तर काश्त करता आया है किन्तु हाल ही मेंवादी को ज्ञात हूआ कि उक्त भूमि फर्जी तरिके से कूटरचित दस्तावेज व गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण ने हरलाल पिता दोला दरोगा को अपना वारिसान बताकर विरासत से खाता अपने नाम खुलवा दिया । अतः वादग्रस्त भूमिप्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर माफिक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वादी के नाम दर्ज कराने के आदेश व धोषणा फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद–पत्र के सम्मन जारी किये गये तथा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केमप पारडी मे नियत किया गया । नियत दिनांक को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः महेन्द्रसिंह व भंवरी उपस्थित हूए जिन्होने जवाब हेतु समय की मांग की जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को समय दिया गया ।अन्य सभी प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनु0 रहे जिसपर उनके विरूद्व दिनांक 22–5–17 को एक तरफा कार्यवाही की गई । हल्का पटवारी से मौके की जांच ली गई । मौका जांच अनुसार वादग्रस्त भूमि पर एक कुंआ खोदा गया हैजो रणसिंह ने खोदा है । उक्त भूमि पर कब्जा रणसिंह का होना जाहिर है। तथा उक्त भूमि मे खडे वृक्षो की पान–पापडी का उपयोग भी रणसिंह करते है मौके पर कच्ची चार दिवारी बनी हूईहै । वादी वादी ने दावे की पुष्टि मे चालू जमाबंदी की नकल, रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की फोटोप्रतिव ना0क0 की नकल पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे निम्न प्रकार से तनकियात कायम की गई :–

तनकी संख्या–1 वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीद की एंव वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व एंव कब्जे मे चली आ रही है।

...जिम्मे वादी

वकील वादी ने तनकी नम्बर 1की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि आ0नं0 128/124 शा0नं0 1,2,3,4 रकबा 6–00 बीघा का रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र एंव शपथपत्र स्वंय वादी एंव गवाह रेवंतसिंह , जगूसिंह , भोलूसिंह एंव शंभूसिंह के शपथ–पत्र पेश किय । वकील वादी ने प्रकरण मे बहस की ।

...3

सहायक कलेक्टर
, जिला–

विद्वान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से दिनांक 3–8–1994 को क्रय की तथा वक्त खरीद से आज दिनांक तक वादग्रस्त भूमि वादी का निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। भूमि का उपयोग उपभोग वादी ही कर रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि पर एक कुंआ भी खुदवाया है तथा वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की दिवार व बाड लगा रखी है जिस पर वादी का काफी खर्चा हूआ है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम फर्जी तरिके से करवाई है। वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नहीं है व न ही मौके पर कब्जा है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा माफिक वाद दावा निर्णित किया जावे।

हमने वादी के वाद–पत्र एंव सलंग्न दस्तावेज का अवलोन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया ।उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के क्रय की लेकिन क्रयशूदा भूमि का ना0क0 नहीं खुल सका । प्रतिवादीगण ने कूटरचित तरिके से गलत दस्तावेजो का सहारा लेकर अपने नाम दर्ज करा दी जो ना0.क0 संख्या 137 से स्पष्ट है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बणजारीया प0स0 पारडी त0देवगढ की आराजीनम्बर 128/124 शा0नं0 12,3,4 रकबा 6–00 बीघा भूमि मेसें प्रतिवादीगण के नाम हटाने के आदेश दिये जाते है तथा माफिक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया। पत्रावली फेसलशुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

# डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
बइजलास श्री के.आर. चौहान (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
प्रकरण सं. 45/2017 रे0वाद निर्णय दिनांक 25.07.2017

## अनवान

1. श्री रणसिंह पिता बखतावरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुलांची तहसील आमेट

———वादी

## बनाम

1. श्री मदनसिंह पिता शंकरसिंह निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
2. श्री जेठूसिंह पिता शंकरसिंह निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
3. श्रीमति सन्तु पिता शंकरसिंह निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
4. श्रीमती पानी पिता शंकरसिंह निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
5. श्रीमती गीता पत्नी शंकरसिंह निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
6. श्री गिरधारीसिंह पिता राधाकिशन निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
7. श्री महेन्द्रसिंह पिता राधाकिशन निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़
8. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी राधाकिशन निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़

———प्रतिवादी

## वाद अन्तर्गत धारा 88–89––91क राज0 टिनेन्सी एक्ट

मुकद्दमा नं0 प्र0सं0 10/2017 रे.वाद

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम बणजारिया पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ के खसरा नं. 128/124 शामिल नं. 1,2,3,4 रकबा 6.00 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के बजाय वादी रणसिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

नीज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर.....फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 02 मास 06 सन् 2017 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

| मुद्दई | रूपया | पै0 | मुद्दायला | रूपया | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | 4 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 00 | स्टाम्प अरजी | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | महनताना वकील )पर | 0 | 00 |
| महनताना वकील )पर | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | मुतफर्रिक | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक | 0 | 00 | | | |
| मिजान | 6 | 00 | मिजान | 00 | 00 |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्डाधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द